समाजशास्त्र
BA Part III
Paper - VII

23/5/20

① Social Pathology (बाल अपराध)
JUVENILE DELINQUENCY)

From -
Dr. Atul Kumar
Reader
Deptt of Sociology
Sherbhah College
Sasaram.

अपराध की प्रकृति तथा बाल अपराधी को आयु मे ध्यान मे रखते हुए कानून-विदो अपराधशास्त्रियो तथा समाजशास्त्रियो ने बाल अपराध को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। डॉ एम जे० सेथना ने सामान्य आधार पर बाल अपराध की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि एक बच्चा जो सड़को पर घूमता रहता है, स्कूल से भागने की आदत वाला हो, अवारा लड़को के साथ रहता हो, छोटी आयु से धूम्रपान करता हो, सदैव ही बड़ो की आज्ञा का उल्लंघन करता हो, चोरो और बुरे चरित्र वाले व्यक्तियो की संगति मे रहता हो,

वेश्याओ और पापी व्यक्तियो के साथ रहता हो जुए के अड्डो एव जुए से सम्बन्धित खेल खेलता हो तथा पारिवारिक कलह का कारण हो, एक बाल अपराधी कहलाता है। डॉ सेथना के इस कथन से स्पष्ट होता है कि एक निश्चित आयु से कम के बच्चो द्वारा किए जाने वाले कोई भी वे कार्य बाल अपराध के अन्तर्गत आते है। जो समाज विरोधी है अथवा जिनसे समूह कल्याण को हानि पहुंचती है। वास्तव मे बाल अपराध का यह अर्थ इतना सामान्य है कि इसकी सहायता से बाल अपराध की वास्तविक प्रकृति को नही समझा जा सकता। इस दृष्टिकोण से बाल अपराध को कुछ परिभाषा से समझना आवश्यक है।

गिलिन और गिलिन के अनुसार - समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बाल अपराधी वह है जिसके कार्य को समूह गिरा हुआ समझता है तथा जिसके कार्य समाज के लिए हानिकारक होने के कारण निषिद्ध होते है।

→ डॉ० एम के सेथना के अनुसार - बाल अपराध के अन्तर्गत किसी स्थान विशेष के कानून के अनुसार एक निश्चित आयु से कम बच्चे द्वारा किये जाने वाले समाज विरोधी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है।

उपर्युक्त परिभाषाओ से स्पष्ट है कि बाल अपराध एक निश्चित आयु से कम के बच्चो द्वारा किए जाने वाला कोई भी वह समाज-विरोधी कार्य है जो

देश कानून के कानून के अनुसार निर्धारित होता है। विभिन्न समाजो के कानून एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यही कारण है कि विभिन्न समाजो मे बाल अपराध की कसौटियाँ भी एक दूसरे से कुछ भिन्न होती है उदाहरण के लिए जापान मे 14 वर्ष लेकर 20 वर्ष तक की आयु के बच्चो द्वारा किए जाने वाले - अपराध को बाल अपराध माना जाता है। जबकि स्वीडन मे 15 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु के अपराधी बच्चे बाल अपराधी कहे - जाते है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है वहाँ भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार -

(1) भारत मे 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किए गए अपराध को अपराध की श्रेणी मे नही माना जाता है क्यो कि इस आयु मे बच्चा अबोध होता है।

(2) बाल अधिनियम 1960 के अनुसार 7 वर्ष से 16 वर्ष वर्ष तक की आयु तक के लड़को तथा 7 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियो द्वारा किये जाने वाले कानून विरोधी व्यवहार वाले अपराध के अन्तर्गत आते है. 16 से 21 वर्ष तक के लड़को तथा 18 से 21 वर्ष तक की लड़कियो द्वारा किये गये अपराध को किशोर अपराध कहा जाता है। एक ही अपराध के लिए इन तीनो श्रेणियो के लिए अलग अलग न्यायिक प्रक्रिया और दण्ड - प्रक्रिया अपनायी जाती है।

(3) बाल अपराधो का तात्पर्य केवल साधारण अपराधो से होता है। 9 वर्ष से अधिक का कोई बच्चा यदि हत्या, राजद्रोह अथवा किसी भी गम्भीर ऐसे अपराध का दोषी हो जिसके लिए मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान हो तो ऐसे अपराध को बाल अपराध की श्रेणी मे नही रखा जाता।

भारत मे बाल अपराध की समस्या

~~समस्या~~ सर्वप्रथम बाल अपराध का मुख्य रूप से एक नगरीय समस्या है। बड़े-बड़े नगरो मे मध्यम वर्ग के बहुत से परिवारो के माता - पिता जब नौकरी

Scanned by TapScanner

करने के कारण बच्चो पर परिवार का नियन्त्रण नही रह जाता। निम्न आर्थिक वर्गो के बच्चो का जीवन आरम्भ से ही उच्छृंखल बनने लगता है। धीरे-2 पुरी कंगाल के कारण बहुत से बच्चे अपराध करने लगते है। दूसरी बात यह है कि भारत मे लड़कियो की तुलना मे लड़के अधिक अपराध करते है। इसके बाद भी लड़कियो द्वारा किये जाने वाले अपराधो की संख्या मे भी अब तेजी से वृद्धि होने लगी है। तीसरे- बाल अपराध के सबसे अधिक जुआ खेलने, जेब काटने, चोरी करने, तथा मामूली - तस्करी जैसे सामान्य अपराध करने से सम्बन्धित पाये जाते है।

चौथे- बाल अपराध की समस्या मुख्यरूप से - संगठित गिरोहो से सम्बन्धित है। जो निर्धन वर्ग के बच्चो को बहला फुसलाकर उन्हे तरह-2 के अपराध करने का प्रशिक्षण देते है। यदि आयु के आधार पर इस समस्या का मूल्यांकन किया जाए तो ज्ञात होता है कि सबसे अधिक बाल अपराध 12 से 16 वर्ष की आयु के बच्चो द्वारा किये जाते है। भारत मे अवैध रूप से नशीले पदार्थो को बेचने मे भी कम आयु के बहुत से बच्चे लिप्त पाये जाते है। गृह मंत्रालय के रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि बाल अपराधियो मे 9। प्रतिशत बाल अपराधी के बच्चे है जो या तो बिल्कुल अशिक्षित है अथवा वे माध्यमिक स्तर से ऊपर शिक्षा ग्रहण नही कर सके। बाल अपराध तथा अशिक्षा के बीच एक गहरा सम्बन्ध देखा जाता है। बाल अपराधियो मे - 85% से अधिक बच्चे वे है जिन्होने पहली बार अपराध किया। इन सभी तथ्यो से स्पष्ट होता है कि बाल अपराध एक गम्भीर नागरीय समस्या का रूप लेती जा रही है। लेकिन अधिकांश बाल अपराध आर्थिक कारणो से नही बल्कि पारिवारिक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाओ का परिणाम होते है। भारत मे आज सबसे ज्यादा बाल अपराध महाराष्ट्र मे ही है। जबकि मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तरप्रदेश तथा तमिलनाडु मे भी इस समस्या का स्वरूप काफी-गम्भीर है।

Anil
Dr Anil Kumar
Reader
Dept of Sociology
Sherghati College
SASARAM

Scanned by TapScanner